संख्या – 4867/आठ–1–06–72बैठक/98

प्रेषक,

के.एल. मीना,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनाक : 03 अगस्त, 2006**

विषय : विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं तत्कालीन इम्प्रूवमन्ट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में शासनादेश संख्या–2798/9–आ–5–3–8मिस/86 दिनांक 16–6–93 द्वारा कतिपय व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी। तद्क्रम में उक्त व्यवस्था में आयी कतिपय कठिनाईयों/कमियों के कारण शासनादेश संख्या–4872/9–आ–1–99–72बैठक/98 दिनांक 4–11–1999 द्वारा कतिपय व्यवस्थाओं के साथ प्रस्तर–2 में निम्न व्यवस्था की गयी :–

> निर्धारित मूल्य एकमुश्त जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाय। किश्तों पर विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों को 5 वर्ष की छमाही किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाय। इन किश्तों पर एक कमरे वाले भवनों के संबंध में वार्षिक ब्याज दर 12 प्रतिशत, 2 कमरे वाले भवनों में ब्याज की दर 13.5 प्रतिशत तथा 3 या उससे अधिक कमरे वाले भवनों में ब्याज की वार्षिक दर 15 प्रतिशत की दर से ली जाय।

2– उपरोक्त प्रस्तर के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ''शरणार्थी कालोनियों में रह रहे लोगों को भवन के मूल्य का भुगतान एक वर्ष में चार तिमाही ब्याजरहित किश्तों में किये

जाने की सुविधा 20 प्रतिशत छूट के साथ प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 4–11–99 अन्य शर्ते यथावत प्रभावी रहेगी।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

के.एल. मीना

सचिव

संख्या : 4867(1)/आठ–1–06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव